संख्या-312/2016/855जेपीआर/22-3-16-800(150)/2011

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 17 अगस्त, 2016***

विषय- जिला कारागार, लखीमपुर खीरी के बंदी देवेश अग्निहोत्री पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश अग्निहोत्री, निवासी-मोहल्ला पूर्वी दीक्षिताना, थाना-कोतवाली गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, लखीमपुर खीरी के बंदी देवेश अग्निहोत्री पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश अग्निहोत्री, निवासी-मोहल्ला पूर्वी दीक्षिताना, थाना-कोतवाली गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी को शासनादेश संख्या-235/2016/2468जेएल/22-3-16-800(150)/2011, दिनांक 27-06-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-312/2016/855जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी। (फैक्स नं0-05872-252326)
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in